

रजिस्टर्ड डाक भेजी जावे। आगामी पेशी तक रजिस्टर्ड तामिल पेशा नहीं करने की स्थिति में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त मानी जावे। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 3 की पूर्णतः पालना की जावे। पत्रावली वारंते तलबी हेतु दिनांक 01.07.2024 को पेश हो।




56  
24

पत्रावली वकील पार्थी के आवदन पत्र  
आदेश 23 नियम 3 का 0510 पर लगे  
त तलब की गई। वकील पार्थी ने विवेदन  
किया कि हम पक्षकारी के मध्य लोक  
ज्यामत की भावना से समझता ह  
जाया है। इसलिए पार्थी उक्त पार्थी पत्र  
में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हरी हरे  
पर विज्ञा कराना चाहता है। पार्थी का  
पार्थी पत्र विज्ञा का स्वीकार किया जाना है  
पत्रावली फंडम शुरू होकर नएव त  
कात ही



**उपखण्ड अधिकारी**  
**निम्बाहेड़ा**

अशोक  
उमा

  
वकील पार्थी

